

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ

संख्या-एम०ई०-३/२०१८/ 2504

लखनऊ:दिनांक 26 जून, 2018

यू०पी० नीट यू०जी०-२०१८ के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

दिल्ली उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-1813/2018 अंशुल अग्रवाल बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.05.2018 के Conclusions में उल्लिखित है कि-

75. *In view of the aforesaid discussion, our findings and conclusions are as under:-*
(a) *Proviso to clause 4(2)(a) of the Regulations disqualifying recognized open school Board candidates is struck down and declared unconstitutional. Students/candidates, who have done class 12 from NIOS or recognized open school State Boards, would not be treated as per se disqualified for selection and appearance in NEET examination. Their NEET results, when otherwise eligible, would be declared with other candidates.*

अतः मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.05.2018 के अनुपालन में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने NIOS or recognized open school State Boards से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को यू०पी० नीट यू०जी० 2018 हेतु अर्ह घोषित किया जाता है। नीट यू०जी० 2018 हेतु जारी ब्रोशर की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके अभिलेखों के सत्यापन की तिथि आज दिनांक 26.06.2018 थी और उनके अभिलेखों का सत्यापन नोडल सेन्टरों पर नहीं हो पाया है वह दिनांक 30.06.2018 को अपने स्वयं के द्वारा चुने गये नोडल सेन्टर पर मूल अभिलेखों तथा अन्य वांछित अभिलेखों सहित उपस्थित होकर सत्यापन करा सकते हैं।

महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं विस्तृत विवरण हेतु वेबसाईट <https://upneet.gov.in> & www.updeme.in तथा वेबसाईट पर प्रदर्शित यू०पी० नीट यू०जी० 2018 का ब्रोशर एवं समय-समय पर जारी विज्ञापनों को अवश्य देखें।